न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2024/210

1. छोटूलाल पुत्र रामदेव जाति कुम्हार निवासी ग्राम रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.
2. जगदीश पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी ग्राम रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.
3. कैलाश पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी ग्राम रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.
4. रामपाल पुत्र रामदेव जाति कुम्हार निवासी ग्राम रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.

––अपीलान्ट

बनाम

1. कालू पुत्र रामदेव जाति कुम्हार निवासी ग्राम रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.
2. प्रहलाद पुत्र छोगा जाति कुम्हार निवासी ग्राम रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.
3. प्रेम बाई पुत्री छोगा जाति कुम्हार निवासी ग्राम रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.
4. रोडूलाल पुत्र जगन्नाथ जाति कुम्हार निवासी ग्राम रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.
5. श्रवणलाल पुत्र जगन्नाथ जाति कुम्हार निवासी ग्राम रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.
6. आशाराम पुत्र जगन्नाथ जाति कुम्हार निवासी ग्राम रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.
7. फुन्दी बाई पुत्री जगन्नाथ जाति कुम्हार निवासी ग्राम रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.
8. [illegible] पुत्र रामदेव जाति कुम्हार निवासी ग्राम रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.
9. फोरी बाई पुत्री रामदेव जाति कुम्हार निवासी ग्राम रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.
10. रंगलाल पुत्र चन्द्रा जाति कुम्हार निवासी ग्राम रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.
11. जगदीश पुत्र चन्द्रा जाति कुम्हार निवासी ग्राम रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.
12. कस्तूरा पुत्र चन्द्रा जाति कुम्हार निवासी ग्राम रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.
13. सुवा पुत्र चन्द्रा जाति कुम्हार निवासी ग्राम रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.
14. गंगाराम पुत्र चन्द्रा जाति कुम्हार निवासी ग्राम रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.

15. कजोड़ी बाई पुत्री चन्द्रा जाति कुम्हार निवासी ग्राम रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.
16. बच्ची बाई पुत्री चन्द्रा जाति कुम्हार निवासी ग्राम रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.
17. कालू पुत्र गोपी कुमार जाति कुम्हार निवासी ग्राम रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.
18. सुन्दरा पुत्र गोपी कुमार जाति कुम्हार निवासी ग्राम रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.
19. नेमीचंद पुत्र गोपी कुमार देव जाति कुम्हार निवासी ग्राम रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.
20. सोसर बेवा गोपी कुमार जाति कुम्हार निवासी ग्राम रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.
21. कैलाशी बाई पुत्री गोपी कुमार जाति कुम्हार निवासी ग्राम रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.
22. अलोल बाई पुत्री गोपी कुमार जाति कुम्हार निवासी ग्राम रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.
23. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0

——रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :—

1. श्री महेन्द्र जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री दुर्गालाल गोचर, अभिभाषक, रेस्पो. 1, 2, 4 लगायत 6, 8, 10, 13 से 16, 18 से 22 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 31.07.2025

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 56/2012 में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 25.09.2013 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की ओर से एक वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा संख्या 565 रकबा 5 बिस्वा, 730 रकबा 15 बिस्वा, 731 रकबा 3 बिस्वा, 732 रकबा 18 बिस्वा, 733 रकबा 13 बिस्वा, 748 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, 749 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा, 750 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, 751 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा, 752 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा, 753 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 11 कुल रकबा 39 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज. में विस्थित है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण वादग्रस्त

आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का 1/4 हिस्सा, वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 10 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 20 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 21 लगायत 26 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता/पति रामदेव, जगन्नाथ, चन्द्रा व गोपी चार भाई थे, जिनका प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा उक्त वादग्रस्त भूमि में निहित था। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 जगन्नाथ जी के वारिसान है, वादीगण व प्रतिवादीगण कम 5 लगायत 10 मृतक रामदेव के वारिस है। रामदेव का पुत्र छोगा फोत हो चुका है जिनके वारिस वादी कम 2 व 3 है। प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 20 चन्द्रा के वारिस है तथा प्रतिवादी संख्या 21 लगायत 26 गोपी के वारिस है। वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान के मध्य अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है लेकिन सभी सहखातेदार अपने हिस्से अनुसार मोके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। पक्षकारान के मध्य भूमि का विधिवत बंटवारा नहीं होने से भूमि की लगान पिलाई जमा कराने में पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद होता है। आये दिन झगड़ा फसाद की संभावना बनी रहती है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई मर्तबा तहसील कार्यालय में चलकर आपसी सहमति से बंटवारा कराने का आग्रह किया लेकिन प्रतिवादीगण बंटवारा कराने को सहमत नहीं है। दिनांक 30.03.2012 को अन्तिम बार प्रतिवादीगण से भूमि का बंटवारा कराने का आग्रह किया, लेकिन प्रतिवादीगण बंटवारा करवाने से इंकार हो गये है। प्रतिवादीगण बंटवारा कराने से मना कर देने से वादीगण को अंतिम बार वाद कारण दिनांक 30.03.2012 को उत्पन्न हुआ है जो निरन्तर जारी है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस आशय की डिक्री प्रदान की जावे कि–(1). वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में निहित वादीगण व प्रतिवादीगण का हिस्से अनुसार भूमि का बंटवारा किया जाकर खाता पृथक–पृथक कायम किया जावे, साथ ही वादग्रस्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 10 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें से वादी संख्या 2 व 3 का संयुक्त रूप से 1/32 हिस्सा दर्ज किया जाकर खाता पृथक किया जावे, साथ ही वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 10 का प्रत्येक का 1/32, 1/32 हिस्सा अंकित कर उक्तानुसार खाता पृथक कायम किया जावे। (2) वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 20 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 21 लगायत 26 का 1/4 दर्ज हिस्सेनुसार खाता पृथक किया जावे एवं हिस्सानुसार विधिवत बंटवारा किया जाकर खाता पृथक–पृथक कायम किया जाकर बंटवारे में प्राप्त भूमि पर स्वतंत्र कब्जा दिलाया जावे एवं बंटवारे में प्राप्त भूमि पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखल नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। (3) अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान की

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.06.2012 को वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई तथा दिनांक 25.09.2013 को वादग्रस्त आराजी के विभाजन की अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित की गई।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 25.09.2013 से व्यथित होकर अपीलार्थी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 25.09.2013 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील

अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 25.09.2013 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 4 लगायत 6, 8, 10, 13 से 16, 18 से 22 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 27 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए तथा शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.09.2013 की जानकारी प्रार्थीगण को किसी प्रकार से नहीं थी और ना ही पटवारी हल्का द्वारा इसकी जानकारी किसी को नहीं होने दी। सर्वप्रथम जून 2024 के अंतिम सप्ताह में पालना कराने के नाम से हल्का पटवारी गांव में आया तब जिसने प्रथम बार कहा कि तुम लोगो के बंटवारे का फैसला हो गया है, बंटवारेके अनुसार खाते अलग–अलग करने है तब पटवारी हल्का द्वारा जो तथ्य बताये उसे सुनकर सभी पक्षकार हक्के भक्के रह गये । तब पटवारी हल्का से पूछा कि फैसला कब हुआ तब उसने बताया कि फैसला तो दिनांक 25.09.2013 को हो गया जिससे प्रथम बार पटवारी हल्का से पता लगने पर न्यायालय में जाकर मालूम की और उसी दिनांक 19.06.2024 को नकल हेतु आवेदन पत्र पेश कर दिया तब भी नकल के साथ पालना रिपोर्ट नहीं आने से पुनः दिनांक 01.07.2024 को आवेदन दिया जिससे सम्पूर्ण तथ्यों का ज्ञान हुआ। निर्णय दिनांक 25.09.2013 से जानकारी की दिनांक 19.06.2024 तक का नकल का समय मुजरा दिया जाना आवश्यक है। उक्त अवधि मुजरा किये जाने पर अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। इस प्रकार जानकारी से यह अपील अन्तर्गत अवधि मध्य प्रस्तुत है। अन्त में अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किए जाने व अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

7. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश व निर्णय वस्तुस्थिति विधान एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र बंटवारा रिपोर्ट देखकर डिक्री का अंतिम कर दिया इस सबंध में पक्षकारो से बंटवारा रिपोर्ट के उपर सहमति या असहमति नहीं ली गई और न ही पक्षकारो को बुलाया गया ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। वादग्रस्त कृषि भूमियां में एक कृषि भूमि 749 नम्बर की है जो कृषि योग्य नही है, बरड़ा है। इसमें सभी खातेदारो को बराबर–बराबर हिस्सा दिया जाना चाहिए था लेकिन ऐसा न करके भारी कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी रिपोर्ट पर भी पूर्ण तरीके से गौर नही किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त बंटवारा की अंतिम डिक्री खारिज किये

जाने योग्य है। खसरा संख्या 750 जिसके हिस्से में दिया गया है उसको पूरा नाप कर भी देना नही चाहते है, यह कहा गया कि जो जमीन है उसको लेना हो तो ले लो बंटवारा तो इसी प्रकार से होगा जिसकी अच्छी जमीन आ गयी उसको अब नहीं बदला जा सकता इस प्रकार पटवारी हल्का द्वारा मिलीभगत कर अच्छी में से अच्छी बुरी मे से बुरी करने के स्थान पर अच्छी जमीने अन्य सहखातेदारो को दे दी है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिकी निरस्त होने योग्य है। निर्णय व डिक्री दिनांक 25.09.2013 को पारित हो चुकी है लेकिन गलत रिपोर्ट के कारण पटवारी हल्का ने आज तक उक्त डिकी की पालना नही करायी जिससे स्पष्ट है कि पटवारी हल्का की जानकारी में सम्पूर्ण तथ्य है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी दिनांक 25.09.2013 निरस्त किए जाने का निवेदन किया। साथ ही प्रकरण को पुनः रिमाण्ड किया जाकर सभी पक्षकारो को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए सहमति व राजस्व नियमानुसार विधिवत बंटवारा करने की आज्ञा प्रदान किए जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किए जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया तथा अपीलांट को जारी सम्मन नोटिस की अपीलांट को तामील हो चुकी थी। अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की भलीं–भांति जानकारी होने के बावजूद जानबूझकर विलम्ब से अपील पेश की गई है। विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित नहीं किया है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में झूठे व मनगढ़न्त कथन अंकित किए है अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दु पर खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार ही प्राथमिक निर्णय व डिकी पारित की गई है। जिस पक्षकार का जितना हिस्सा वादग्रस्त भूमि में निहित है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिकी में प्रत्येक पक्षकार को उतने ही हिस्से का खातेदार घोषित किया गया है। किसी भी पक्षकार का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से को प्राथमिक डिकी में परिवर्तित नहीं किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत प्राथमिक निर्णय व डिकी दिनांक 27.06.2012 पक्षकारान के राजस्व अभिलेख में दर्ज हक हिस्से अनुसार ही पारित की गई है जो विधि सम्मत है। अपीलांट की ओर से प्रश्नगत अपील अंतिम डिकी दिनांक 25.09.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिकी दिनांक 25.09.2013 उभयपक्षकारान के मोके पर कब्जे अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स तैयार की गई है। अंतिम निर्णय व डिकी दिनांक 25.09.2013 प्राथमिक निर्णय व डिकी के अनुसार उभयपक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार ही पारित की गई है। अंतिम निर्णय व डिकी में किसी भी पक्षकार का हिस्सा कम अथवा अधिक दर्ज नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए अंतिम निर्णय डिकी पारित की गई है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिकी दिनांक 25.09.2013 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से

प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने का निवेदन किया।

9. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

हमारे मत में सर्वप्रथम प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया। हमारे मत में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलांट द्वारा प्रश्नगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 25.09.2013 के विरूद्ध पेश की गई है। अपीलांट का कथन है कि प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार किए जाने से पूर्व अपीलांट को सूचित नहीं किया गया तथा अपीलांट की अनुपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में विभाजन प्रस्ताव संलग्न है। विभाजन प्रस्ताव पर दिनांक 06.11.2012 अंकित है अतः उक्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 06.11.2022 को तैयार किया गया है। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर केवल चार पक्षकारान रोडू, कस्तुरा, कालुराम एवं रामदेव के हस्ताक्षर एवं अंगूठा निसानी अंकित है। अन्य किसी भी पक्षकारान की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर/अंगूठा निसानी उक्त विभाजन प्रस्ताव पर अंकित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में विभाजन प्रस्ताव तैयार किए जाने से पूर्व उभयपक्षकारान को जारी किसी प्रकार के नोटिस/सूचना–पत्र संलग्न नहीं है। अतः हमारे मत में अपीलांटगण एवं अन्य पक्षकारान को विभाजन प्रस्ताव तैयार किए जाने से पूर्व किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। अपीलांटगण व अन्य पक्षकारान को विभाजन प्रस्ताव तैयार किए जाने की कोई जानकारी नहीं थी अतः अपीलांट एवं अन्य पक्षकारान विभाजन प्रस्ताव के दौरान मोके पर उपस्थित नहीं हो सके। प्रश्नगत विभाजन प्रस्ताव पर केवल हल्का पटवारी के हस्ताक्षर अंकित है। अतः प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार किए जाने के दौरान तहसीलदार स्वयं उपस्थित नहीं हुए। प्रश्नगत विभाजन प्रस्ताव केवल पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है। हमारे मत में प्रश्नगत विभाजन प्रस्ताव सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार नहीं किया गया है। अतः प्रश्नगत विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 के प्रावधानों के विपरीत होने से त्रुटिपूर्ण

है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त त्रुटिपूर्ण रूप से तैयार किए गए विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए प्रश्नगत अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 25.09.2013 पारित की गई है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में अपीलांटगण एवं अन्य सभी पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया जाना आवश्यक है। साथ ही विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान को आपत्ति प्रकट करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रस्तुत की गई आपत्तियों का विधि अनुसार निस्तारण करते हुए, राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में अंतिम निर्णय व डिक्री पारित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 56/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.09.2013 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण एवं अन्य सभी पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर उभयपक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करें तथा प्रस्तुत की गई आपत्तियों का विधि अनुसार निस्तारण करने के उपरांत राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 08.09.2025 को स्वयं उपस्थित रहे।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा